श्री कपिल सिब्बल: सर, मैं यह गुजारिश करुंगा कि जब अगली बार मंत्री जी यहां आएं तो पूरी तैयारी करके आएं।

श्री सभापति: यह ठीक रहेगा। श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन''।

अब आप क्या करेंगे, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': सर, पूछने तो दीजिए।

'हरियाली' योजना के अन्तर्गत सूखा प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता

***309. प्रो॰ अलका क्षत्रिय:††**

श्री बालकवि बैरागी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल के संग्रहण, संरक्षण और सिंचाई से जुड़ी 1070 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री द्वारा वित्त पोषत नई ''हरियाली'' योजना देश की दो लाख बत्तीस हजार पंचायतों को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो दो लाख बत्तीस हजार पंचायतों में से कौन-कौन से राज्य हैं जो इस नई ''हरियाली'' योजना से लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत सूखा-प्रभावित राज्यों को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शान्ता कुमार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (घ) नए कार्यक्रम 'हरियाली' में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वाटरशेड विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भावी परियोजनाओं का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के जरिए किए जाने की परिकल्पना की गई है।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत शामिल करने हेतु देश के सूखा प्रवण तथा मरुभूमि क्षेत्रों को पहले ही अभिज्ञात किया जा चुका है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 16 राज्यों के 182 जिलों में 972 ब्लॉकों को तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 7 राज्यों के 40 जिलों में 227

---

††सभा में यह प्रश्न प्रो. अलका क्षत्रिय द्वारा पूछा गया।

ब्लॉकों को शामिल किया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल नहीं किए गए ब्लॉकों को सामान्यतया समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली सभी नई परियोजनाएं नए कार्यक्रम 'हरियाली' के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाएंगी।

Priority to drought affected States under "Hariyali" scheme

†*309. PROF. ALKA BALRAM KSHATRIYA:††
SHRI BALKAVI BAIRAGI:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have handed over the New "Hariyali" scheme financed by the Prime Minister worth rupees 1070 crores relating to harvesting, conservation and irrigation of rain water to two lakh thirty two thousand panchayats of the country;

(b) if so, the names of the States benefited by this new "Hariyali" scheme from amongst two lakh thirty two thousand panchayats;

(c) whether drought affected States have been given priority under this scheme; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The new initiative Hariyali envisages implementation of future projects under Watershed Development Programmes of the Ministry of Rural Development through Panchayati Raj Institutions.

The drought prone and desert areas of the country have already been identified for coverage under DPAP and DDP. Under DPAP, 972 Blocks in 182 districts of 16 States and under DDP, 227 Blocks in 40 districts of 7 States are covered. Blocks not covered under these two Programmes are generally covered under IWDP. All New Projects to be sanctioned in future shall be implemented under the new initiative of Hariyali.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Alka Balram Kshatriya.

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि गुजरात के कितने जिलों से कौन-कौन से ब्लॉक इस योजना में शामिल हैं, उनको कितनी धनराशि दी गई है और क्या यह राशि इसी योजना के तहत इन्हीं कार्यों पर खर्च हुई है तथा इसकी जांच की जाती है?

श्री शांता कुमार: महोदय, जो "हरियाली" नया इनीसिएटिव है वह अभी-अभी प्रारम्भ हुआ है और वाटर शैड के जितने कार्यक्रम पहले कमेटी बनाकर किए जाते थे, अब यह तय किया गया कि देश में जो दो लाख बत्तीस हजार पंचायतें हैं उन पंचायतों के द्वारा ही गांव के अंदर इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। तो यह योजना अभी-अभी प्रारम्भ हुई है। इस योजना के अन्तर्गत कितने प्रदेश हैं यह तो सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जो वाटर शैड के तीनों कार्यक्रम हैं उसकी सूचना मेरे पास है। उसमें अलग-अलग प्रदेशों में डी॰डी॰पी॰, डी॰पी॰ए॰पी॰ में और आई॰डब्लू॰डी॰पी॰ में मेरे पास सूचना है। वह अलग-अलग प्रदेश की सूचना उनको भेज दूंगा।

श्री सभापति: वह भेज देंगे।

श्री शांता कुमार: मैं वह पूरी सूचना भेज दूंगा। अभी आप कहें तो मैं बतला सकता हूं।

श्री सभापति: नहीं, अभी रहने दीजिए।

प्रो॰ अलका क्षत्रिय: लेकिन कितना खर्च हुआ, कितनी राशि आबंटित की गई वह तो आंकड़े आपके पास होंगे? कितने राज्य हैं वह आपको मालूम नहीं है लेकिन बाकी तो होंगे आपके पास?

श्री शांता कुमार: मेरे पास पूरी सूचना है कि इसमें कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितने प्रोजेक्ट स्वीकार किए गए हैं।

श्री सभापति: वह भी भेज दीजिए।

श्री शांता कुमार: तीनों योजनाओं के अंदर लगभग हजारों प्रोजेक्ट स्वीकार किए गए हैं। एक हजार करोड़ से अधिक धन का आबंटन किया है। किस प्रदेश को कितने धन का आबंटन किस प्रोजैक्ट में है, यह पूरी सूचना मेरे पास है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पूरी सूचना पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री सभापति: श्री बालकवि बैरागी, आप थोड़ा सा कविता में बोलिए।

श्री प्रेम गुप्ता: महोदय, बैरागी साहब तो बैराग लिए हुए हैं, उनको किसलिए दुनियादारी में ला रहे हैं?

श्री सभापति: यह आपकी संगत के कारण दुनियादारी में पड़ रहे हैं, वरना नहीं पड़ते।

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति महोदय, आपके इस आशीर्वाद का मैं बहुत आभारी हूं। सचमुच में प्रेम के कारण ही मैं दुनियादारी में पड़ा हुआ हूं।

श्री सभापति: इस प्रेम के कारण से हो तो आप धोखा खाओगे।

श्री बालकवि बैरागी: महोदय, मैंने जिससे प्रेम किया है, वे राजस्थान की हैं, इसलिए मैं कोई धोखा नहीं खाउंगा। महोदय, शांता कुमार जी ने सदन को जो उत्तर दिया है, मैं उनकी समझ से, उनकी सक्षमताओं से परिचित हूं इसलिए मैं उनके लिए उन्हें धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि वे अपने प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ज्यादा व्यस्त रहे, इसलिए उत्तर पूरा नहीं दे सके, वरना अब आपके पास पूरी तैयारी है। इसके पहले विद्युत मंत्री जी ने जो हमारी इज्जत बढ़ायी है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद दे ही रहे हैं लेकिन आपसे आग्रह है, कृपा करके इतना बता दें कि आपने सारे का सारा काम पंचायतों को सौंप दिया है। आपकी बड़ी कृपा है। अच्छा लगा कि विकेन्द्रीकरण हुआ है, राजीव गांधी जी का सपना सच हो रहा है। मुझे आप केवल इतना बता दीजिए कि जो आपकी योजनाओं का काम पंचायतें करेंगी, ''हरियाली'' के अंतर्गत, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था आप किसको देंगे? आप स्वयं करेंगे, राज्य सरकार को देंगे कि पंचायतों को देंगे?

श्री शांता कुमार: महोदय, उद्देश्य यह है कि जो 73वां अमैंडमेंट कॉन्स्टीट्यूशन का था, उसके मुताबिक पंचायतों को अधिक अधिकार देने के संबंध में पूरे देश की सहमति है। केन्द्र सरकार राज्यों को कह रही है कि डीसैंट्रलाइज करें। हम केवल कह ही नहीं रहे हैं बल्कि कर भी रहे हैं। महोदय, सजलधारा योजना, 800 करोड़ रुपये की, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 10 हजार करोड़ रुपये की और ''हरियाली'' एक हजार करोड़ रुपये की— 11 हजार 800 करोड़ रुपये की योजनाएं देश की 2 लाख 32 हजार पंचायतों के द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी। आपने ''हरियाली'' कार्यक्रम के बारे में पूछा। कुछ गांवों की कमेटी बनाकर, वह वाटरशैड कमेटी काम करे, उससे पैरलल कमेटी देश में बन रही थी। अब दो लाख बत्तीस हजार पंचायतें यह काम करेंगी। उनको जो पंचायती राज संस्थाएं ब्लॉक की हैं, जिला परिषद की हैं और राज्य सरकार योगदान भी देगी, टैक्नीकल असिस्टैंस देगी, मॉनिटरिंग करेगी और कम्पलीट मॉनिटरिंग का टू-थ्री टाइप सिस्टम बनेगा और उस काम को पंचायतें करेंगी। इतना ही नहीं, उसमें कुछ थ्रस्ट हम बदल रहे हैं कि पंचायत अपने क्षेत्र में गिरने वाली प्रत्येक बूंद पानी का प्रबंधन करे, उससे प्लांटेशन करे, उससे इरीगेशन करे और संपूर्ण गांव का विकास इस ढंग से हो, इसमें यह उद्देश्य है।